कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री सुनील कुमार उपाध्याय, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याण कुन्ज, झोटवाड़ा, जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापड़ा, पहाडी जिला भरतपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सुनील कुमार उपाध्याय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 20946/2019 सुनील कुमार उपाध्याय बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 20946/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री सुनील कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 16 माह के अन्तराल में 4 बार स्थानान्तरित किये जाने एवं स्वयं के हृदय रोग से ग्रस्त होने के मद्देनजर अपना पदस्थापन राबाउमावि स्यारी/राउमावि नेमाली/राउमावि बिशनपुरा चारणवास/राउमावि मलारना जिला जयपुर अथवा जयपुर जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का विभागीय दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों एवं माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी दिशा–निर्देश दिनांकः 24.09.2019 द्वारा राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। याचिकार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे इनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके।

याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और इन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य एवं विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में प्रतिपादित किया गया है कि एक स्थान से किसी अन्य दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं होता। याचिकार्थी एक ही स्थान पर बने रहना चाहते हैं जो कि किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए सर्वथा अनुचित है। याचिकार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरति स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री सुनील कुमार उपाध्याय द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुनील उपाध्याय/याचिका/20946/2019 दिनांकः 29/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य. मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर संभाग, जयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/भरतपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री सुनील कुमार उपाध्याय, प्रधानाचार्य राउमावि पापडा, पहाडी, भरतपुर को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)